



2026:AHC: 2703

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19584 वर्ष 2025

नीलकमल यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

निर्भय कुमार भारती

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री निर्भय कुमार भारती और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आत्म प्रकाश त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपति इस आधार पर उठाई गई है कि इस न्यायालय के समक्ष 'वाद-कारण' का कोई आधार नहीं बनता है, विशेष रूप से तब, जब वाद-कारण या तो बिहार में या ओडिशा में उत्पन्न होता है। इस संबंध में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय **राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ; 2005 (1) ए.सी.जे. 375** पर भरोसा किया गया है।

3. तदनुसार, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में रिट याचिका **खारिज** की जाती है, हालांकि, याचिकाकर्ता को मामले पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

4. आज दाखिल किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में अंकित किया जाता है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।